

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 2079

गुरुवार 12 फ़रवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई किराया और सामान शुल्क

2079. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विमान कंपनियां टिकट और अतिरिक्त सामान पर असंगत रूप से उच्च शुल्क वसूल रही हैं और हाल ही में, इस संबंध में जारी आदेश का पालन नहीं कर रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विमान कंपनियों द्वारा टिकट और अतिरिक्त सामान संबंधी शुल्क को विनियमित करने या इन शुल्कों की घोषणा में पारदर्शिता लाने के लिए कोई मौजूदा दिशा-निर्देश या नियामक प्रावधान लागू हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अधिक वसूली को रोकने के लिए नियामक ढांचे को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विधिक माप विज्ञान विभाग को विमानपत्तनों पर स्थापित वजन मशीनों का नियमित निरीक्षण और अंशांकन करने संबंधी निर्देश देने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का नियामकों को अधिकतम किराया सीमा निर्धारित करने या इसमें पारदर्शिता लागू करने का अधिकार देने हेतु कानून बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का घरेलू जरूरतों को पूरा करने और कीमतों को कम करने के लिए नई विमान कंपनी शुरू करने का भी विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) से (ङ): हवाई किराए सरकार द्वारा विनियमित नहीं किए जाते हैं और एयरलाइनों वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए, अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर अपने हवाई किराए निर्धारित कर सकती हैं। बाजार प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए सरकार आमतौर पर हवाई किराए को विनियमित करने से बचती है, तथापि, यह सतर्क रहती है और विभिन्न सेक्टरों में क्षमता का पुनर्वितरण और अस्थायी किराया सीमा लगाने जैसे उपायों को अपनाकर महामारी, महाकुंभ, पहलगाम की घटना और हाल ही में बड़े पैमाने पर इंडिगो उड़ान व्यवधान जैसी आपवादिक परिस्थितियों के दौरान हस्तक्षेप करती है।

हवाई किराए में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (टीएमयू) की स्थापना की है जो एयरलाइनों की वेबसाइटों का मासिक आधार पर उपयोग करके यादृच्छिक आधार पर, चयनित किए गए 78 मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनों उनके द्वारा घोषित सीमा से अधिक हवाई किराया न वसूलें।

हवाई किराए के पारदर्शी प्रकटीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, एयरलाइनों को टैरिफ शीट को होमपेज या अपनी वेबसाइट के एक प्रमुख हिस्से पर स्पष्ट, सरलता से सुलभ और देखे जाने योग्य ढंग से प्रकाशित करने की सलाह दी गई है। डीजीसीए ने एटीसी 01/2025 "टैरिफ शीट का प्रकाशन-वायुयान नियम, 1937 का नियम 135" जारी किया है, जिसमें अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें, कैलेंडर माह के प्रत्येक पहले दिन अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित टैरिफ शीट में केवल किसी भी नए सेक्टर की शुरुआत के कारण अथवा किसी रियायती/प्रोमो किराए के मामले में परिवर्तन कर सकती हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ सेवाओं और उनसे जुड़े प्रभारों की अनबंडलिंग से बेसिक किराया किफायती हो सकता है और उपभोक्ता को उन सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प मिल सकता है जिनका वह लाभ उठाना चाहता है, सरकार ने कुछ सेवाओं को अनबंडल कर दिया है जिसमें अतिरिक्त सामान प्रभार भी शामिल है।

संबंधित राज्यों के विधिक माप विज्ञान विभाग (भार एवं माप विभाग) के नियमों और विनियमों के अनुपालन में आवश्यकतानुसार नियमित रूप से आवधिक अंशांकन किया जा रहा है। तदनु रूप अंशांकन प्रमाणपत्र विधिवत प्रदर्शित किए जाते हैं।

(च) : नए एयरलाइन प्रवेशकों के लिए प्रवेश संबंधी कोई विनियामक बाधाएं नहीं हैं, और कोई भी कंपनी जो एयरलाइन शुरू करने की इच्छुक है, प्रारंभिक एनओसी प्राप्त करने के लिए अपनी प्रस्तावित व्यवसाय योजना के साथ सरकार से संपर्क कर सकती है। पिछले दो वर्षों में मंत्रालय ने 07 एयरलाइनों को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रदान किए हैं।

इसके अलावा, हवाई यात्रा को और अधिक किफायती बनाने के लिए, सरकार ने क्षमता परिवर्तन, हवाईअड्डा अवसंरचना विस्तार, कई वाहकों द्वारा फ्लीट इंडक्शन की सुविधा और उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क को व्यापक बनाने के माध्यम से यातायात अधिकारों के युक्तिकरण को प्रोत्साहित किया है, जो कई एयरलाइनों को अल्पसेवित और असेवित मार्गों पर परिचालन करने में सक्षम बनाता है।

\*\*\*\*\*